भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 596
उत्तर देने की तारीख: 06.02.2024

विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली वृत्तिका लंबित होना

596. डॉ. अमर सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति (एनएफ-ओबीसी) योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रदान की जाने वाली वृत्तिका के लंबित होने की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समय पर मासिक वृत्तिका प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण संबंधी योजना के अंतर्गत निर्मित छात्रावासों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक ऋण से कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित एम.फिल और पीएच.डी. के अध्येता छात्रों को सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिया जाने वाला वजीफा उपलब्ध अनुदानों के अनुसार शीघ्र जारी किया जाता है।

(ग): ओबीसी बालक और बालिकाओं हेतु छात्रावास निर्माण स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित छात्रावासों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक ऋण से गत 3 वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए छात्रों की संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 596 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

ओबीसी बालक और बालिकाओं हेतु छात्रावासों का निर्माण तथा ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास स्कीम के अंतर्गत जारी राशि का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

रु. लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2020-21			2021-2022			2022-2023		
		जारी की गई राशि	सीटों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	जारी की गई राशि	सीटों की संख्या	छात्रावासों की संख्या	जारी की गई राशि	सीटों की संख्या	छात्रावासों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	बिहार	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	छत्तीसगढ	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	गोवा	360.00	300	2	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	हरियाणा	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	झारखंड	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	कर्नाटक	675.00	500	5	0	0	0	0	0	0
11	केरल	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मध्य प्रदेश	607.50	500	1	122.00	100	1	75.35	100	1
13	महाराष्ट्र	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	ओडिशा	0.00	0	0	0	0	0	356.54	900	9
15	पंजाब	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	राजस्थान	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	तमिलनाडु	0.00	0	0	585.00	500	5	0	0	0
18	तेलंगाना	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	उत्तर प्रदेश	16.44	0	3	0	0	0	0	0	0
20	उत्तराखंड	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	अंडमान और निकोबार	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	दमन और दीव	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	चंडीगढ	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	दिल्ली	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	असम	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	मणिपुर	0.00	0	0	0	0	0	567.00	400	4
30	सिक्किम	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	त्रिपुरा	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	केंद्रीय विश्वविद्यालय	1499.59	1700	6	1170.00	1450	5	881.10	400	8
	कुल:	3158.53	3000	17	1877.00	2050	11	1879.99	1800	22

लोक सभा में दिनांक 06.02.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 596 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

गत 3 वर्षों के दौरान एनबीसीएफडीसी द्वारा प्रदान किए गए शैक्षिक ऋण के माध्यम से लाभान्वित छात्रों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	वर्ष	कुल छात्र (सं.)
1.	2020-21	1145
2.	2021-22	400
3.	2022-23	142
	कुल	1687

*****